



5. कुछ सीपीएसईजे के सम्बन्ध में पूर्व वर्ष के आंकड़े लेखापरीक्षित/संशोधित आंकड़ों द्वारा अनन्तिम आंकड़ों के प्रतिस्थापन के कारण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014 की संख्या 2 में दर्शाए गए तदनुरूपी आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।
6. इस प्रतिवेदन में 'सरकारी कम्पनियों/निगमों या सीपीएसईजे' के सभी प्रसंग 'केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों/निगमों' के प्रसंग में माने जाएं जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा सुझाव न दिया जाए।